217
317 (10)

संख्या–5150 /XVIII-(2)/14-4(44)/2014

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड देहरादून।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग

देहरादून: दिनांक 23 दिसम्बर, 2014

विषय:– वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्राकृतिक आपदा एस.पी.ए./ए.सी.ए.(आपदा 2013) के अन्तर्गत वन विभाग की क्षतिग्रस्त योजना फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क में हनुमान चट्टी से द्वारी तक पैदल मार्ग के पुनर्निर्माण हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वन एवं पर्यावरण विभाग की पत्रावली संख्या–12(12)/2014 टी.सी.–1 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2013 में आयी भीषण प्राकृतिक आपदा, बाढ़ एवं बादल फटने आदि के कारण क्षतिग्रस्त घांघरिया से फूलों की घाटी–कुन्तखाल–हनुमान चट्टी से द्वारी पुल तक पैदल मार्ग के पुनर्निर्माण हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के शासनादेश–44(21)PFI/2013-1773, दिनांक 28 मार्च, 2014 द्वारा अनुमोदित तथा विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन ₹ 210.00 लाख के सापेक्ष वित्त विभाग की टी0ए0सी0 द्वारा तकनीकी परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गई ₹ 198.90 लाख (₹ एक करोड़ अठानवे लाख, नब्बे हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

2– वर्णित योजनाओं हेतु भारत सरकार द्वारा सी.एस.एस./केन्द्र पोषित योजनाओं के सम्बन्ध में निर्गत दिशा–निर्देश, मानकों एवं नियमों का पालन किया जायेगा तथा तत्काल सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

3– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिये यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में संबंधित जिलाधिकारी/प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

4– धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।

5– धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से आंगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करा ली जायेगी।

6– उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

7– प्रश्नगत योजनाओं पर नियमानुसार वित्त विभाग व व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.) का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

8– जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय।

9– आहरण एवं वितरण अधिकारी को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी.एम.–10 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार, उत्तराखण्ड, राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

10– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड/सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

11– कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आंगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

कृपया - 2

12– त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2015 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

13– प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा सक्षम अधिकारी के माध्यम से प्रश्नगत चालू कार्यों का भासिक रूप से भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

14– धनराशि का आहरण सी.सी.एल. हेतु निर्धारित नियमानुसार ही किया जायेगा।

15– उल्लिखित कार्यों/योजनाओं पर मानकानुसार यथाप्रक्रिया भारत सरकार आदि का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। आंगणन में स्वीकृत डिजाइन/मानक एवं दरों के अन्तर्गत होने पर ही स्वीकृत धनराशि को व्यय किया जायेगा।

16– यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु वन एवं पर्यावरण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी। स्वीकृत की जा रही योजनायें किसी अन्य मद से पूर्व में स्वीकृत न की गई हो, इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की दोहराव (Duplicacy) की स्थिति के लिये विभाग के प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

17– प्रश्नगत योजनाओं की दूसरी किस्त उसी दशा में अवमुक्त की जायेगी जब योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र नियमानुसार विभाग द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा सभी स्वीकृतियाँ भारत सरकार आदि से प्राप्त कर ली जायेगी। जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित विभाग प्रश्नगत योजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार से सम्पर्क स्थापित कर सभी स्वीकृतियाँ प्राप्त कर लेंगे।

18– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–6 के लेखाशीर्षक–2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनियोजित योजना–0102–एस.पी.ए./एस.सी.ए. (आपदा 2013) के अन्तर्गत सड़क एवं सेतु निर्माण हेतु अनुदान–24–वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

19– यह आदेश वित्त विभाग के अ.प.सं.–85 P/XXVII(5)/2014, दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव

संख्या–5150(1)/XVIII-(2)/14-4(44)/2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5– निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– जिलाधिकारी, चमोली।
8– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
9– बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड।
10– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
13– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भास्करानन्द)
सचिव